कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्राँकः–2895 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 06 / 02 / 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत घुडसाल – सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.772 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/180/2016/एफ0सी0/1718 दिनांक 17.11.2017

महोदय,

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उपयुक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तो के तहत सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार धनराशि हेतु मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है:–

1. **शर्त सं0–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 820 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 8,20,000.00 (रू0 आठ लाख बीस हजार) मात्र जमा की जानी है।

वृक्षों का रापेण	धनराशि (प्रति है0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
820	1000.00	8,20,000.00

2. **शर्त सं0–02** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 5,07,204.00.(रू पॉच लाख पॉच हजार दो सौ चार) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 x 4)
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	0.772	5,07,204.00

3. **शर्त सं0–03** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।
4. **शर्त सं0 04** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. **शर्त सं0–05** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण एवं उपचार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्य पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation करने की बचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide hard copy of Digital map of proposad road, FRA plantation scheme ,in original.
7. State Govt. will review the data givin about employment likely to be generated and uploaded correct data about employment details at para –E online part I
8. State Govt. will provide and uploaded FRA certificate after authenticating the corrections made in it.
9. मलवा निस्तारण एवं वृक्षारोपण हेतु मांग अलग से प्रेषित की जायेगी।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तो के अनुपालन की वचनवद्वता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन–लाईन अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर,